रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265640
CG-DL-E-22082025-265640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947
No. 580] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

फा. सं. एचक्यू-16021/2/2021-ईयू-II-एचक्यू(ई-6538).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 में पुन: संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन एवं अद्यतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 27 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम (4) को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(4) जहां प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि आधार नामांकन के समय या बायोमेट्रिक अद्यतन के समय प्राप्त बायोमेट्रिक सूचना किसी अन्य व्यक्ति की बायोमेट्रिक सूचना के साथ मिश्रित है, तो ऐसे आधार नंबर का प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित तरीके से लोप किया जाएगा।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 28 में,—

(क) उप-विनियम (1) में, उप-खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड (गक) को अंत:स्थापित किया जाएगा:—

"(गक) आधार नंबर धारक पांच वर्ष या उससे अधिक आयु का था, किंतु उसका नामांकन मूल बायोमेट्रिक सूचना के बिना किया गया और तत्पश्चात् बायोमेट्रिक अद्यतन भी किया गया।"

(ख) उप-विनियम (1) में, उप-खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड (ङक) को अंतःस्थापित किया जाएगाः—

"(ङक)

(i) जहां प्राधिकरण को किसी आधार नंबर धारक की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, जिसमें मृत व्यक्ति का आधार नंबर, जहां उपलब्ध हो, शामिल है, उक्त सूचना को प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित विधि में सत्यापित किया जाएगा, और ऐसे सत्यापन क0947 उपरांत, आधार नंबर को निष्क्रिय किया जाएगा।

(ii) सीआईडीआर में सूचना की सतत् सटीकता सुनिश्चित करने के लिए या उप-विनियम (i) के तहत प्राप्त आधार नंबर धारक की मृत्यु से संबंधित सूचना को सत्यापित करने के लिए, प्राधिकरणः

अ. भारत के महारजिस्ट्रार या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत नियुक्त किसी राज्य के मुख्य रजिस्ट्रार से सूचना मांगेगा; या

आ. आधार ईकोसिस्टम में किसी अन्य संस्था से सूचना मांग सकता है; या

इ. किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकता है।"

(ग) उप-विनियम (2) में, "अस्थायी रुप से" शब्दों, का लोप किया जाएगा।

4. मूल विनियमों में, विनियम 30 में, उप-विनियम (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः —

"बशर्ते यह कि विनियम 28 के उप-विनियम (1) के खंड़ (ङक) के तहत मृत व्यक्ति के आधार नंबर के निष्क्रियण के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं होगी।"

5. मूल विनियमों में, अनुसूची I में, प्रपत्र V के लिए, निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः —

प्रपत्र 5: आधार नामांकन और अद्यतन
(क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के प्रमाण वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका
(5 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करें।

1	**प्रयोजन:** ☐ नामांकन या ☐ अद्यतन			
2	**निवास की स्थिति**: ☐ भारतीय निवासी या ☐ अनिवासी भारतीय *(एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे दी गई घोषणा के पैरा 1(ग) को देखें}*			
3	**जनसांख्यिकीय सूचना** *(अद्यतन के लिए, केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें)*:			
	(क) नाम: *{कृपया नाम को किसी शीर्षक, आदरसूचक और उपनाम के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}*			
	(ख) लिंग: ☐ महिला ☐ पुरुष ☐ तृतीय लिंग / परलैंगिक *(ट्रांसजेंडर)*	**(ग) जन्म तिथि:** ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY) या **आयु:** ☐☐☐ वर्ष ☐ सत्यापित या ☐ घोषित या ☐ अनुमानित *(केवल आयु के लिए)* *(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)*		
	(घ) ईमेल:	**(ङ) मोबाइल नंबर:** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
4	**नामांकन/अद्यतन का आधार:** ☐ दस्तावेज सत्यापन या ☐ परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* द्वारा पुष्टि			
5	**दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतन के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज:** *(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतन के मामले में भरी जानी चाहिए)*			
	(क) पता:	द्वारा *(वैकल्पिक)*:		
	मकान नं. / भवन / फ्लैट नं.:		सड़क:	
	लैंडमार्क:	वार्ड नंबर:	क्षेत्र / इलाका / सेक्टर:	
	गांव/नगर/शहर:	डाकघर *(अनिवार्य)*:	पिन कोड *(अनिवार्य)*: ☐☐☐☐☐☐	
	उप-जिला:	जिला:	राज्य:	
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार: *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)*	(i) पहचान का प्रमाण *(पीओआई)*:		
		(ii) पते का प्रमाण *(पीओए)*:		
		(iii) जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीबी) *(वैकल्पिक)*:		
6	***एचओएफ*-आधारित नामांकन या पता अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज:**			
	(क) एचओएफ का विवरण:	(i) बालक/बालिका के माता का नाम:	आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐	
		और/या		
		(ii) बालक/बालिका के पिता का नाम:	आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐	
		(iii) यदि माता-पिता में से किसी एक का विवरण दिया गया है, तो क्या वर्तमान में माता-पिता में से कोई बालक/बालिका के साथ नहीं रह रहा है:	☐ हां ☐ नहीं	
	या			
	(iv) कानूनी सरंक्षक का नाम:		आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐	
	(v) बालक/बालिका से संबंध:	☐ माता और/या	☐ पिता	या ☐ कानूनी सरंक्षक
	(ख) संबंध के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार: *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)*			

	मैं/हम ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे/हमसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एतद्द्वारा सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं कि मेरी, या हम दोनों में से किसी एक की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए हम में से एक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।
	हस्ताक्षर: / माता: / और/या पिता: / या कानूनी संरक्षक:
7	**अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना:**
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना: ☐ बायोमेट्रिक (फोटो) ☐ नाम ☐ जन्म तिथि ☐ लिंग ☐ पता ☐ मोबाइल ☐ ईमेल ☐ पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतन
	घोषणा 1. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं/हम और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और (ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है या वह एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है। 2. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। 3. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है। 4. मैं/हम पहचान, पता, जन्म और/या संबंध के प्रमाण को साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना तथा दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने हेतु एतद्द्वारा अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं। 5. मैं/हम आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम 6 के संदर्भ मे, आधार नंबर को सृजन उपरांत, संबंधित जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं।
	हस्ताक्षर: / माता: / और/या पिता: / या कानूनी संरक्षक:
	सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर: / सत्यापनकर्ता का नाम: / तारीख और समय:

प्रपत्र 5 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या वैकल्पिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, यथा लागू, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, यथा लागू, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य
3	*जनसांख्यिकीय सूचना:*		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि *(डीओबी)* या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, *डीओबी* या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही(✔) का निशान लगाएं। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी)* उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएं। (4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्तूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा। (5) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	*एनआरआई* के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) अभारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई *एसएमएस/टेक्स्ट* संदेश नहीं भेजा जाएगा।	वैकल्पिक
4	नामांकन/अद्यतन का	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही (✔) का निशान लगाएं।	अनिवार्य

	आधार		
5	*दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतन के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज:*		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "मार्फत" का ब्यौरा भरना वैकल्पिक है और इसके संबंध में कोई समर्थित दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वत: प्रविष्ट किया जाएगा। (5) *पीओए* दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि बालक/बालिका *एनआरआई* है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए *पीओए* नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 6 का उपयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) *एनआरआई* के लिए, केवल वैध भारतीय पासपोर्ट ही स्वीकार्य *पीओआई* है।	अनिवार्य
6	*एचओएफ आधारित नामांकन या-पता अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	*एचओएफ* के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही (✔) का निशान लगाएं। (3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (4) कृपया (v) में, जो लागू हो, सही (✔) का निशान लगाएं। (5) *एचओएफ*-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना अद्यतन के लिए, *एचओएफ* 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका की माता, पिता या कानूनी सरंक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का प्रमाण *(पीओआर)* दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	*अद्यतन के लिए, अतिरिक्त सूचना:*		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतन	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है: नि:शुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है: नि:शुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है: *₹100*
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतन	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतन के समय ही किया गया है: नि:शुल्क (केवल बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए शुल्क लागू होगा) (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है: *₹ 50*
4.	*पीओआई* और *पीओए* दस्तावेजों (पता और पहचान का प्रमाण का साक्ष्य) का अद्यतन	*₹50*

राहुल कुमार**,** निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./313/2025-26]

नोट : मूल विनियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 14 सितंबर, 2016 में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 2), दिनांक 12 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे

और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या एचक्यू-16024/4/2021-ईयू-II-एचक्यू (ई-5735), दिनांक 2 जुलाई, 2025 (3 जुलाई, 2025 को प्रकाशित) के तहत किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

F. No. HQ-16021/2/2021-EU-II-HQ (E-6538).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) Second Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 27, a sub-regulation (4) shall be inserted after sub-regulation (3), namely:—

"(4) Where the Authority is satisfied that the biometric information captured at the time of enrolment for Aadhaar or at the time of biometric update, is mixed with the biometric information of another individual, such Aadhaar number shall be omitted in the manner as specified by the Authority."

3. In the principal regulations, in regulation 28,—

(a) in sub-regulation (1), a sub-clause (ca) shall be inserted after sub-clause (c), namely:—

"(ca) Aadhaar number holder was aged five years or above but was enrolled without capturing core biometric information and later biometric update has also been carried out."

(b) in sub-regulation (1), a sub-clause (ea) shall be inserted after sub-clause (e), namely:—

"(ea)

(i) Where the Authority receives information regarding the death of an Aadhaar number holder including the Aadhaar number of the deceased individual, wherever available, the said information shall be verified in a manner as prescribed by the Authority, and upon such verification, the Aadhaar number shall be deactivated.

(ii) In order to ensure continued accuracy of information in the CIDR or to verify the information pertaining to the death of the Aadhar number holder received under sub-regulation (i), the Authority:

A. shall seek information from the Registrar General of India or Chief Registrar for a State appointed under the Registration of Births and Deaths Act, 1969; or

B. may seek information from any other entity in the Aadhaar ecosystem; or

C. may receive information from any individual."

(c) in sub-regulation (2), the word "temporarily", wherever it occurs, shall be omitted.

4. In the principal regulations, in regulation 30, in sub-regulation (1), a proviso shall be inserted after the second proviso, namely: —

"Provided further that the same shall not be required in case of deactivation of Aadhaar number of a deceased person under clause (ea) of sub-Regulation (1) of regulation 28."

5. In the principal regulations, in Schedule I, for form V, the following form shall be substituted, namely: —

FORM 5: Aadhaar Enrolment and Update
For (a) Resident Indian child, or (b) Non-Resident Indian child having Proof of Address in India
(below 5 years of age)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1	**Purpose:** ☐ Enrolment OR ☐ Update
2	**Resident status:** ☐ Resident Indian OR ☐ Non-Resident Indian (NRI) {*See paragraph 1(c) of the declaration below this form*}
3	**Demographic information** (*For update, please fill only the information to be updated*):
	(a) Name: (*Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases*)
	(b) Gender: ☐ Female ☐ Male ☐ Third gender / Transgender
	(c) Date of Birth: ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY) OR **Age:** ☐☐☐ years ☐ Verified OR ☐ Declared OR ☐ Approximate (*only for age*) (*For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card*)
	(d) Email: **(e) Mobile number:** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
4	**Basis of enrolment/update:** ☐ Document verification OR ☐ Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}
5	**For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:** (*Address information should be filled only in case of enrolment or update of address*)
	(a) Address: Care of (*optional*):
	House no. / Building / Flat no.: Street:
	Landmark: Ward no.: Area/Locality/Sector:
	Village/Town/City: Post Office (*mandatory*): PIN code (*mandatory*): ☐☐☐☐☐☐
	Sub-district: District: State:
	(b) Type of documents presented: (*See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres*) (i) Proof of Identity (POI): (ii) Proof of Address (POA): (iii) Proof of Date of Birth (PDB) (*optional*):
6	**For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:**
	(a) Details of HoF(s): (i) Name of child's mother: Aadhaar no.: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ AND/OR (ii) Name of child's father: Aadhaar no.: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ (iii) If details of only one parent are given, whether the other parent is currently not residing with the child: ☐ Yes ☐ No
	OR
	(iv) Name of legal guardian: Aadhaar no.: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(v) Relationship with the child: ☐ Mother AND/OR ☐ Father OR ☐ Legal guardian
	(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: (*See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres*)
	I/We confirm the identity of the child named above and that she/he is related to me/us as mentioned. I/we hereby consent that my biometric information, or that of either of us, may be used to establish the identity of one of us through biometric-based authentication, and that the address recorded against the authenticated Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child.
	Signature of: Mother: AND/OR Father: OR Legal guardian:
7	**For update, additional information:**
	(a) Aadhaar number of the child: ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(b) Information to be updated: ☐ Biometric (photo) ☐ Name ☐ Date of Birth ☐ Gender ☐ Address ☐ Mobile ☐ Email ☐ Update of POI and POA documents

Declaration

1. I/We hereby confirm and declare that—
   (a) all the information and documents submitted is correct to the best of my/our knowledge and belief;
   (b) I am / we are entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and
   (c) the child is a resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 months immediately preceding the child's enrolment) OR that the child is a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India).
2. I/We understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivated and, in addition, action may be taken against me/us as per law.
3. I/We understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.
4. I/We hereby give my/our consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.
5. I/We hereby give my/our consent for sharing of Aadhaar number upon its generation, with the Registrar of Births and Deaths

concerned, in terms of sub-regulation 6 of Regulation 3 of the Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016.			
Signature of:	Mother:	AND/OR Father:	OR Legal guardian:
Signature of verifier:		Name of verifier:	Date and time:

Instructions for filling Form 5

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory
2	Resident status	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory
3	*Demographic information:*		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific and alias (*urf*, a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✔) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate". (3) "Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) For a child born on or after 1st October, 2023, birth certificate is the only acceptable PDB. (5) If PDB is not available, the child may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory for NRI
(e)	Mobile number	(1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
4	Basis of enrolment/update	Please tick (✔) only one, as applicable.	Mandatory
5	*For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:*		
(a)	Address	(1) Please fill details as applicable. (2) Filling "Care of" (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same. (3) PIN code and Post Office are mandatory. (4) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code. (5) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted. (6) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled. (7) In case the child is NRI and does not have POA for address in India, please use Form 6.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals. (3) For NRIs, valid Indian passport is the only acceptable POI.	Mandatory
6	*For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:*		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i) and (ii). (2) Please tick (✔) only one, as applicable, in (iii). (3) Please fill details as applicable in (iv). (4) Please tick (✔), as applicable, in (v). (5) For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the "List of acceptable supporting documents", displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
7	*For update, additional information:*		
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✔) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	*Free*
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: *Free* (b) If done once between the ages of 15 and 17 years: *Free* (c) If done otherwise: *₹ 100*
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: *Free (Only charges for Biometric update applicable)* (b) If done separately, for all or any demographic information: *₹ 50*
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	*₹ 50*

RAHUL KUMAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./313/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14th September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated the 12th September, 2016, and were last amended *vide* Notification number HQ-16024/4/2021-EU-II-HQ(E-5735), dated the 2nd July, 2025, published on the 3rd July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.22 22:15:43 +05'30'